न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख जारी

अपील संख्या 85/2015

1. मोहम्मद इलियास
2. मोहम्मद स्वालेह
3. मोहम्मद अबूजर, } पिसरान अब्दुल रसीद
4. कदीरा पत्नी स्व0 अब्दुल रसीद, जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।

अपी0

बनाम

1. जफर अहमद पुत्र बुन्दू खॉ
2. अब्दुल जब्बार पुत्र सन्नू खॉ (अवेट)
3. सलीम शाह पुत्र शकूर शाह
4. फजलुदीन पुत्र नसरूदीन, जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 66/2014 निर्णय दिनांक 18.11.2015)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपी0 की ओर से श्री सुरेश शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल

निर्णय दिनांक **30.12.202**

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 66/2014 निर्णय दिनांक 18.11.15 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम टोडाभीम विस्वा 11 स्थित आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.32 है0 की खातेदारी पूर्व में अब्दुल कदीर, अब्दुल वशीर पि0 अहमद हुसैन हिस्सा 1/2, मोहम्मद इस्माईल, मोहम्मद इब्राहिम पि0 अब्दुल मुजीब हिस्सा 1/4 तथा सायलान बहिस्सा 1/4 की थी। सहखातेदारान का खसरा नम्बर 2629 व अन्य भूमि का बंटवारा होने पर खसरा नम्बर 2629 का रकबा 0.16 है0 सायलान के हिस्से में तथा खं0न0 2629 का नवीन हिस्सा 2629/1 रकबा 0.16 है0 अब्दुल वशीर के हिस्से में आया जिसका नामान्तकरण सं0 1220 दिनांक 23.01.2012 को भरा गया जिसके आधार पर सायलान ख0नं0 2629 रकबा 0.16 है0 के खातेदार काबिज आराजी है। अपने हिस्से का उपयोग भली भांति करते चले आ रहे है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि से ... सायलान का कोई संबंध नहीं है। लठ्ठ के बल पर सायलान की आराजी पर कब्जा कर ... बाउन्ड्री वॉल करवाने पर उतारू है तथा कब्जा करने की धमकी दे रहे है। ... 14.11.2014 का है सायलान अपनी आराजी की देखभाल कर रहे थे कि गैर सायलान एकराय होकर अपने साथ मजदूरो को लेकर आये तथा सायलान की आराजी की नापतौल करने लगे, सायलान द्वारा पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो कहने लगे कि हमारे पास कब्रिस्तान की भूमि कम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यलान ने समझाया किन्तु कहने लगे कि हम तो इस आराजी से तुमको बेदखल कर कब्जा रके रहेंगे तथा बाउन्ड्री करेंगे। तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारी आरामशीन वाली मीन व अन्य जमीन पर भी कब्जा कर लेगें। इस प्रकार गैरसायलान अपनी कुचेष्ठा में मयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। सायलान का प्राईमा फेसी केश मणित है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः र्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर बेदखल कर कब्जा नहीं करे तथा कोई पुख्ता निर्माण नहीं करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए गैर सायलान को पाबंद फरमानें इस्तदुआ चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपी0/ सायलान का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष के अभिभाषकों की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा, तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसकी खातेदारी में अब्दुल क़दीर, अब्दुल वशीर पि0 अहमद हुसैन हिस्सा 1/2, मोहम्मद इस्माईल, मोहम्मद इब्राहिम पि0 मुजीब हिस्सा 1/4 तथा अपीलांट का हिस्सा 1/4 दर्ज थी। अपी0 तथा सह खातेदारान के मध्य खसरा नम्बर 2629 व अन्य आराजी का बंटवारा होने पर खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.16 , अपी0 के हिस्से में तथा खं0न0 2629 का शेष रकबा खसरा नं0 2629/1 रकबा 0.16 है0 अब्दुल वशीर के हिस्से में आया जिसका नामान्तकरण सं0 1220 दिनांक 23.01.2012 को खुलकर उक्तानुसार जमाबंदी में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार अपीलांट आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.16 है0 के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। जिस पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा आज भी अपीलांट काबिज काश्त है तथा भूमि खसरा नम्बर 2628 अपीलांट के खातेदारी की भूमि है जो पूर्व में अपीलांट के खातेदारी में दर्ज थी। परन्तु वर्तमान में नगरपालिका के नाम दर्ज हो गयी है। जिसमें रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 2629 व 2628 से रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है ना ही उक्त आराजी में कोई कब्रिस्तान है ना ही कोई कब्र है ना ही रेस्पो0 उक्त भूमि को कब्रिस्तान के काम में ले रहे हैं। कब्रिस्तान की भूमि पृथक है जो 10 बिस्वा भूमि है जो सफाखाने के पास है। वक्फ बोर्ड में 10 विस्वे का है जो पृथक भूमि है वक्फ बोर्ड में कोई खसरा नम्बर का इन्द्राज नहीं है। खसरा नम्बर 2629 में कोई कब्रिस्तान नहीं है ना ही उक्त भूमि कब्रिस्तान के काम आ रही हैं। रेस्पो0 द्वारा दिनांक 05.11.2014 को इस संबंध में एक इकरारनामा लिखा जिसमें खसरा नम्बर 2629 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2023.12.16 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि होना माना है दालत मातेहत ने खसरा नम्बर 2629 की सम्पूर्ण भूमि को कब्रिस्तान की होना माना है तथा ना किसी आधार के अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं होने का गलत निष्कर्ष निकाला है म्पूर्ण भूमि पर कब्रिस्तान होने बाबत कोई दस्तावेज अदालत मातेहत के समक्ष नहीं था, फिर गलत प्रकार से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया है। अपीलांट खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.16 0 तथा 2628 रकबा 0.07 है0 के काबिज खातेदार काश्तकार है जिसको रेस्पो0 जबरन लठ्ठ बल पर हडपना चाहते है। ख0नं0 2629 व 2628 में बने रास्ते को जबरन बंद करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट का प्राइमा फेसी केस बखुबी सिद्ध था तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में था तथा अपीलांट को अपूर्तनीय क्षति होना साबित था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में महान भूल की है। रेस्पो0 अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में तथा उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा रास्ते में कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा ना ही अपीलांट को बेदखल कर कब्जा करे तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा उक्त कार्य वह ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे तथा भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए, अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.32 है0 स्थित ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम पर कई वर्षो से सक्का तथा फकीर समाज कब्रिस्तान के रूप में काम में लेते चले आ रहे है, जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में भली भांति दर्ज है। विवादित आराजी ख0नं0 2629 को भी सक्का व फकीर समाज के लोग पिछले सेंकडों वर्षो से कब्रगाह के रूप में काम में लेते चले आ रहे है। अपीलांट का यह कहना गलत है कि विवादित भूमि ख0नं0 2629 अपीलांट की कृषि भूमि है तथा यह कहना भी गलत है दिनांक 14.11.14 को अपी0 व रेस्पो0 के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ, ना हि किसी प्रकार कि धमकी दी है उक्त विवादित भूमि पर सेकडों वर्षो से सक्का व फकीर समाज के लोगो को दफनाया जा रहा है, भूमि मौके पर कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो रही है। खसरा गिरदावरी में इस भूमि का कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त होने का अंकन हो रहा है। इस कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ असामाजिक व्यक्ति गन्दगी करते फिरते है, गढे हुए कब्रों को जंगली सुअर उखाडने लगे तो समाज के व्यक्ति एकत्र होकर इन समस्याओं के निदान स्वरूप बाउन्ड्री बॉल करवाने लगे तो अपी0 ने समाज के लोगो को बाउन्ड्री बॉल नहीं करने दिया तथा उक्त कब्रों को उखाड कर पक्की दुकान बनाने की धमकी दी तथा न्यायालय के माध्यम से कब्रिस्तान की भूमि को हडपने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त विवादित भूमि पर अपी0 का कोई कब्जा नहीं है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर व सक्का समाज के कब्रिस्तान है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रार्थना पत्र के नो बिन्दुओ का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धि के अनुरूप खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही । अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम टोडाभीम के खसरा नम्बर 2629 के साबिक खसरा नम्बर 724 है। खसरा गिरदावरी संवत 2030–33 में गैर मुमकीन कब्रिस्तान दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2014 में वर्तमान में कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2015 पूर्ण विवेचन सहित पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं है। अतः अपील अस्वीकार किया जाना उचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के मु0नं0 66/2014 निर्णय दिनांक 18.11.2015 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.12.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner